vinetur

अमेरिका 5 जनवरी 2027 से विदेशी आयातकों के लिए सीमा शुल्क नियम सख्त करेगा

आयातक-ऑफ-रिकॉर्ड कंपनियों को CTPAT में शामिल होना होगा या मान्यता प्राप्त सीमा शुल्क दलाल रखने होंगे ; पूर्ण अनुपालन की समय-सीमा 6 मई 2027 है

शनिवार, 21 नवंबर 2026



संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने वाले माल के आयातक-ऑफ-रिकॉर्ड के रूप में काम करने वाली विदेशी कंपनियों को 5 जनवरी 2027 से सीमा शुल्क अनुपालन के नए नियमों का सामना करना होगा। इस बदलाव के चलते कई आयातकों को यह बदलना पड़ सकता है कि वे माल की क्लीयरेंस कैसे कराते हैं और अमेरिकी बंदरगाहों पर किन दलालों की सेवाएं लेते हैं।

Wine & Spirits Shippers Association ने शुक्रवार, 20 नवंबर को प्रकाशित एक लॉजिस्टिक्स अपडेट में कहा कि अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा विभाग (CBP) विदेशी आयातक-ऑफ-रिकॉर्ड, जिन्हें अक्सर विदेशी IOR कहा जाता है, के लिए नई शर्तें तय करने वाले अंतरिम अंतिम नियम को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नियम के तहत, ऐसे आयातकों को आम तौर पर या तो आतंकवाद के विरुद्ध सीमा शुल्क-व्यापार साझेदारी (CTPAT) के

मान्यताप्राप्त प्रतिभागी होना होगा या देश में माल दाखिल करते समय CTPAT से मान्यता प्राप्त लाइसेंसधारी सीमा शुल्क दलाल का उपयोग करना होगा।

एसोसिएशन ने कहा कि इस नियम में CBP फॉर्म 3461 और 7501 के लिए रिपोर्टिंग संबंधी नई आवश्यकताएं भी शामिल हैं, जिनका उपयोग माल दाखिल करने और जारी करने की प्रक्रिया में होता है। अपडेट के अनुसार, सीमा शुल्क दलाल कुछ प्रावधानों के अनुपालन में देरी की मांग कर सकते हैं, लेकिन 6 मई 2027 तक पूर्ण अनुपालन आवश्यक है। अंतरिम नियम पर टिप्पणियां 5 जनवरी 2027 तक स्वीकार की जा रही हैं, जबकि आपूर्ति शृंखला संबंधी खुलासों पर CBP के एक अलग प्रस्ताव पर टिप्पणियां 1 दिसंबर तक देनी हैं।

यह बदलाव इसलिए अहम है क्योंकि कई विदेशी विक्रेता और आपूर्ति शृंखला संचालक अमेरिकी घरेलू खरीदार को आयातक की भूमिका सौंपे बिना माल को अमेरिका में लाने के लिए विदेशी IOR व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। इन कंपनियों को नए नियम के तहत या तो सुरक्षा मान्यता कार्यक्रम में शामिल होना पड़ सकता है या सीमा शुल्क प्रतिनिधित्व बदलना पड़ सकता है। व्यापार संगठनों ने कहा कि कारोबारों को नियम लागू होने से काफी पहले अपनी माल-दाखिला प्रक्रियाओं, दस्तावेज़ीकरण के तौर-तरीकों और दलालों के साथ संबंधों की समीक्षा शुरू कर देनी चाहिए।

पेय कारोबार के लिए इसका असर खास तौर पर व्यावहारिक हो सकता है। वाइन और स्पिरिट की खेपें अक्सर ऐसी जटिल आयात व्यवस्थाओं के तहत भेजी जाती हैं, जिनमें विदेशी उत्पादक, अमेरिकी गोदाम, सीमा शुल्क दलाल और तापमान-संवेदनशील माल ढुलाई की समय-सारिणी शामिल होती है। नियम लागू होने पर यदि कोई विदेशी आयातक मान्यताप्राप्त न हो या किसी मान्यताप्राप्त दलाल के साथ काम न कर रहा हो, तो माल दाखिल करने की प्रक्रिया में देरी या अन्य बाधाएं आ सकती हैं। इससे वाइन, बीयर और स्पिरिट के उन आयातकों के लिए जोखिम पैदा होता है, जो बंदरगाहों से माल समय पर जारी होने और सख्त समय-सारिणी के मुताबिक वितरण पर निर्भर करते हैं।

एसोसिएशन ने सीमा शुल्क में इस बदलाव को वैश्विक शिपिंग और पेय व्यापार के लिए अनिश्चितता के व्यापक दौर का हिस्सा बताया। उसी अपडेट में उसने भारत में स्कॉच व्हिस्की की खेपों को प्रभावित करने वाले टैरिफ विवाद के बढ़ने का भी जिक्र किया। समूह के अनुसार, भारत के सीमा शुल्क अधिकारी थोक स्कॉच आयात पर प्रभावी रूप से 162.5% शुल्क और कर लगा रहे हैं, जबकि जुलाई में लागू हुए ब्रिटेन-भारत व्यापार समझौते के तहत व्हिस्की पर टैरिफ 150% से घटाकर 75% कर दिया गया था। विवाद का केंद्र ब्लेंडिंग में इस्तेमाल होने वाली थोक व्हिस्की का वर्गीकरण है। खबरों के मुताबिक, प्रमुख स्पिरिट कंपनियों से जुड़ी 80 से अधिक कंटेनर खेपें भारतीय बंदरगाहों पर रोकी गई हैं।

व्यापार समूह ने यह भी कहा कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने चीन में निर्मित और चीन द्वारा संचालित जहाजों पर लक्षित धारा 301 के समुद्री शुल्कों की वसूली पर रोक 9 जनवरी 2027 तक बढ़ा दी है। इस रोक से जहाजरानी कंपनियों और आयातकों को अस्थायी राहत मिली है, लेकिन भविष्य की शिपिंग लागत को लेकर व्यापक अनिश्चितता बनी हुई है। पेय आयातकों के लिए इसका मतलब है कि नया CBP नियम ऐसे समय लागू हो रहा है, जब कंपनियां पहले से ही बदलती माल ढुलाई दरों, जहाजों की उपलब्धता और व्यापार नीति के जोखिमों से जूझ रही हैं।

WSSA के 20 नवंबर के अपडेट में आने वाले हफ्तों और महीनों में आयात की योजना को प्रभावित कर सकने वाले व्यापक लॉजिस्टिक्स दबावों का भी वर्णन किया गया। इसमें कहा गया कि 16 और 18 नवंबर को टैंकरों पर हुए नए हमलों के बाद होर्मुज़ जलडमरूमध्य में सुरक्षा हालात बेहद अस्थिर बने हुए हैं। इससे जोखिम बढ़ा है और वाहक कंपनियों द्वारा अधिभार लगाने तथा समय-सारिणी में बदलाव की आशंका भी बढ़ी है। अपडेट में यह भी कहा गया कि वाहक कंपनियां एशिया-यूरोप के अधिक माल को स्वेज नहर से भेज रही हैं। अब इस मार्ग की 50% से अधिक क्षमता अफ्रीका के चारों ओर से जाने के बजाय नहर का इस्तेमाल कर रही है। इस बदलाव से वैश्विक कंटेनर क्षमता में लगभग 500,000 TEUs उपलब्ध हुए हैं, हालांकि एसोसिएशन ने कहा कि स्थिति पूरी तरह सामान्य होने में अभी छह से 12 महीने और लग सकते हैं।

यूरोप में समूह ने कहा कि हाल की बारिश से राइन नदी का जलस्तर बढ़ा है, जिससे कम जलस्तर के कारण महीनों से

लागू प्रतिबंधों के बाद अब बजरे अधिक भारी माल ले जा पा रहे हैं। फिर भी, उसने कहा कि नदी परिवहन व्यवस्था अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है और मौसमी शिपिंग मात्रा के कारण मांग ऊंची बनी हुई है।

अपडेट में ILWU Local 26 और Pacific Maritime Association के बीच शनिवार, 21 नवंबर की अनुबंध समय-सीमा से पहले अमेरिकी पश्चिमी तट पर श्रम संबंधी तनाव का भी उल्लेख किया गया। WSSA ने कहा कि लॉस एंजिल्स और लॉन्ग बीच के बंदरगाहों पर लगभग 250 सुरक्षा निगरानी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली Local 26 ने संकेत दिया था कि वह शनिवार, 21 नवंबर को रात 12:01 बजे अनुबंध की अवधि समाप्त होने के बाद उसे बढ़ाने को तैयार नहीं है। मंगलवार, 17 नवंबर को हुई बातचीत में कोई समझौता नहीं हो सका था। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि Local 26 हड़ताल करती है, तो कामबंदी बंदरगाहों पर ILWU के अन्य श्रमिकों तक फैल सकती है और टर्मिनल संचालन, जहाजों की आवाजाही, कंटेनर उठाने तथा अंतर्देशीय परिवहन में बाधा डाल सकती है।

ऐसे हालात में CBP की नई आवश्यकताएं उन आयातकों के लिए अनुपालन का एक और मुद्दा खड़ा करती हैं, जो अमेरिका में माल के प्रवेश की भरोसेमंद प्रक्रिया पर निर्भर हैं। विदेशी IOR व्यवस्था अपनाने वाली कंपनियों को यह तय करना पड़ सकता है कि वे खुद CTPAT मान्यता हासिल करें या माल-दाखिले की प्रक्रिया ऐसे दलाल को सौंप दें जो पहले से मानक पूरा करता हो। कुछ आयातकों को इस समीक्षा के तहत अनुबंधों में बदलाव, डेटा रिपोर्टिंग को अपडेट करने और माल दाखिल किए जाने के समय कानूनी रूप से उसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसकी बारीकी से जांच करने की भी जरूरत पड़ सकती है।

WSSA ने कहा कि उसने मंगलवार, 17 नवंबर को इस विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया था और आवश्यकताएं विकसित होने के साथ सदस्यों को मार्गदर्शन देना जारी रखेगा।